

**मांग संख्या 82**  
**मुख्य शीर्ष 2202**

**मद क्रमांक 1**

प्राथमिक शालाओं के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 400.00 लाख एवं अतिरिक्त राशि रूपये 3580.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 39,80,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 2**

माध्यमिक शालाओं के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 200.00 लाख एवं अतिरिक्त राशि रूपये 810.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 10,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 3**

आश्रम शालाओं के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु अतिरिक्त राशि रूपये 161.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 1,61,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 4**

हाई स्कूल के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु राशि रूपये 200.00 लाख एवं अतिरिक्त राशि रूपये 748.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 9,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 5**

उच्चतर माध्यमिक शालाओं के शिक्षाकर्मियों के वेतन भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 200.00 लाख एवं अतिरिक्त राशि रूपये 1440.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 16,40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मद क्रमांक 6 से 7**

मध्यान्ह भोजन योजना के अंतर्गत 10109 प्राथमिक शालाओं एवं 475 माध्यमिक शालाओं में किचन शेड हेतु राशि रूपये 6350.40 लाख तथा 8134 प्राथमिक शालाओं एवं 3219 माध्यमिक शालाओं में किचन डिवाइस प्रदाय हेतु राशि रूपये 567.65 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 69,18,05,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

**मुख्य शीर्ष 2235**

**मद क्रमांक 8**

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन के भुगतान हेतु रूपये 1148.00 लाख अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि रूपये 11,48,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

\*\*\*\*\*